वाद ए 80/2020 - हिदायत जारिया

तारीख हुक्म	RCMS No 2020/00161 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12/10/2022	वकील वादी द्वारा प्रति सं. 2, 3 को सम्मन तामिल होकर प्राप्त / आवश्यक लागत जारी करने पश्चात एक-पक्षीय कार्यवाही करने हेतु लगाई जाती है प्रति सं. 1 को तामिल हुए सम्मन प्रस्तुत करे अन्यथा पत्रावली दिनांक 30/11/2022 को पेश हो।	
30/11/22	पत्रावली पेश हुई / आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 07/02/2023 को पेश हो।	
07/02/23	पत्रावली पेश हुई / आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 19/04/23 को पेश हो।	
19.4.23	पत्रावली पेश हुई / आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 5/07/23 को पेश हो।	
05/07/2023	वकील वादी द्वारा प्रति सं. 1 की तामिल हुए सम्मन रसीद प्रस्तुत करे अन्यथा विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी पत्रावली दिनांक 12/09/2023 को पेश हो	
12/09/23	पत्रावली पेश हुई। वाद प्रेषण द्वारा आज कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 21/09/23 को पेश हो।	
21.9.2023	वकील वादी [illegible] हुए सम्मन तलबाना प्रस्तुत नहीं [illegible] तलबाना प्रस्तुत नहीं करने के कारण वाद वादी order 9 Rule 5 CPC में खारिज किया जाता है पत्रावली नियम प्रमाण होकर नस्ती के साथ लेकर अभिलेख पत्रावली हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:07:25 IST
Reason: SelfAttested